कार्यालय प्राचार्य

शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर (अहिवारा) जिला - दुर्ग (छ. ग.)

Website: www.gnkmahiwara.com E-Mail: nkmnandini@gmail.com Phone No. 07821-257434

क्रमांक / 485/GNKM/2024 नंदिनी नगर दिनांक :- 12/07/2024

अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का आदेश क्र. 574/126/आउशि/राज. स्था. / 2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.07.2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति - 2024 के अन्तर्गत महाविद्यालय में रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 22/07/2024 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति-2024" के परिपालन में किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल / वेबसाइट Website: www.gnkmahiwara.com से अवलोकन किया जा सकता है।

अतिथि व्याख्याता के निम्न विषय में आवेदन आमंत्रित है

रिक्त पदों की संख्या		
क्र	विषय	सहा. प्राध्यापक
1	अंग्रेजी	01
2	भौतिक शास्त्र	01
3	प्राणी शास्त्र	01
4	वाणिज्य	01
	योग	04

शर्ते :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली व उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताएं मान्य होगी एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मैरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
2. चयनित उम्मीदवार के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा वह किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में न हो इस बाबत् शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
3. नियमित नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण तथा शासन की अन्य व्यवस्था के तहत प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जाति / निवास एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12/7/24

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय
नंदिनी नगर (अहिवारा), जिला-दुर्ग (छ.ग.)

No.: L-201 22
AD /JD/ /DD
Section
Date 21 JUN 2024 C.H.E.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
— — 0 — —

क्रमांक एफ 3—54/स्था./2020/38—1, **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024**

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़,

विषयः—उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत्।

————

राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति—2024 को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून, 2024 (आयटम क्रमांक 10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि व्याख्याता नीति—2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

2/ निर्देशानुसार उक्त नीति में दी गई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।
(पृ. 01 से 19 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कीर्तिवर्धन उपाध्याय)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3—54/स्था./2020/38—1, **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024**

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
3. महालेखाकर, रायपुर, कार्यालय रायपुर, (छ.ग.)
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
5. विशेष सहायक, मा. मंत्री उच्च शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर
7. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, (न्यायालयीन शाखा) मंत्रालय
7. समस्त क्षेत्रिय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग (छ.ग.)
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, (छ.ग.)
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
10. वेब साईट में अपलोड हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. आदेश फोल्डर,

20.6.24
अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

latter 2021